



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 176/2019 धारा- 302,452 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त निसार खां पुत्र याकूब खां निवासी पलरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए धारा 302,452 भा०द०सं० में आजीवन कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी श्री जगदीश
अनुरागी



विवेचक-
एसएचओ
गिरेन्द्रपाल सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० जगत सिंह